अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामले

4346. **श्री दिलीप सिंह जुदेव :**
श्री नागमणि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारियों का श्रेणी-वार ब्योरा क्या है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज किए गए है;

(ख) ये मामले कब-कब दर्ज किए गये थे; और

(ग) 1993-94 से 1996-97 तक की अवधि में दंडित किए गए ऐसे अधिकारियों की सेवा-वार संख्या, उनके नाम, पदनाम उन्हें दी गई सजा के संबंध अलग-अलग ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालसुब्रमणियन): (क) से (ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में इन शक्तियों का प्रयोग गृह मंत्रालय करता है। इसी प्रकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, इन शक्तियों का प्रयोग, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए करता है। उपर्युक्त नियमावली के तहत, राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवा के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उस समय राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में सेवारत है, दुराचरण किए जाने पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी है। राज्य सरकार, मामलों की जांच के लिए उन्हें जांचकर्ता अधिकरणों को सौपने के लिए भी सक्षम है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों के संबंध में, जो केन्द्र सरकार से जुड़े हैं, सूचना निम्नानुसार है:-

(i) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 37 मामले दर्ज किए हैं।

(ii) सूचना विवरण-I पर दी गई है। (नीचे देखिए)

(iii) सूचना विवरण-II पर दी गई है।

विवरण ।

वर्ष 1993 से 1997 के दौरान केन्दीय जांच ब्यूरों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए मामलों के संबंध में राज्य-वार सूचना

क्र.सं.	राज्य जिसमें मामला दर्ज किया गया	मामला संख्या तथा दर्ज करने की तारीख
1.	असम	आर.सी. 5/94-ए.सी.यू.-1 दिनांक 17.5.94
2.	महाराष्ट्र	आर.सी.1/बी.एस.सी. /93-बम्बई दि. 2.6.1993
3.	हरियाणा	आर.सी. 18/96-चंडीगढ़ दिनांक 4.9.96
4.	हरियाणा	आर.सी. 7(ए) / 94-ए.सी.यू.-1/11 दि. 29.12 94
5.	मध्य प्रदेश	आर.सी. 2/94-ए.सी.यू.-1 दिनांक 7.2.94
6.	दिल्ली	आर.सी. 4/97-बी.एस.एंड एफ.सी. दिल्ली दि.
7.	महाराष्ट्र	आर.सी. 18/96-ए.सी.वी. मुम्बई दि. 17.3.96
8.	महाराष्ट्र	आर.सी. 48/96-ए.सी.वी. मुम्बई दि. 29.8.1996
9.	महाराष्ट्र	आर.सी. 9/97-ए.सी.बी. मुम्बई दि. 17.2.1997
10.	मणिपुर	आर.सी. 10/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
11.	मणिपुर	आर.सी .11/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
12.	मणिपुर	आर.सी. 12/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996

क्र.सं.	राज्य जिसमें मामला दर्ज किया गया	मामला संख्या तथा दर्ज करने की तारीख
13.	मणिपुर	आर.सी. 13/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
14.	मणिपुर	आर.सी. 14/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
15.	मणिपुर	आर.सी. 15/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
16.	मणिपुर	आर.सी. 16/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
17.	मणिपुर	आर.सी. 17/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
18.	मणिपुर	आर.सी. 18/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
19.	मणिपुर	आर.सी. 19/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
20.	मणिपुर	आर.सी. 20/96-सिलचर दिनांक 5.6.1996
21.	पंजाब	आर.सी. 16/94-ए.सी.बी./ चंडीगढ़ दिनांक 25.4.94
22.	तमिलनाडु	आर.सी .10/96-ए.सी.बी./चेन्नई दि. 8.3.96
23.	तमिलनाडु	आर.सी. 15/96-ए.सी.बी./चेन्नई दि. 21.3.96
24.	तमिलनाडु	आर.सी. 48/96-ए.सी.बी./चेन्नई दि. 6.9.96
25.	तमिलनाडु	आर.सी.43/96-ए.सी.बी./चेन्नई दि. 18.7.96
26.	दिल्ली	आर.सी.12/96-ए.सी.बी./दिल्ली दि.12.2.96
27.	दिल्ली	आर.सी.82/95-ए.सी.बी./दिल्ली दि.20.9.95
28.	महारष्ट्र	आर.सी.64/93-ए.सी.बी. मुम्बई दि. 29.9.93
29.	महारष्ट्र	आर.सी.48/96-ए.सी.बी. मुम्बई दि. 29.8.1996
30.	महारष्ट्र	आर.सी.9/97-ए.सी.बी. मुम्बई दि.17.2.1997
31.	महारष्ट्र	आर.सी.9/97-ए.सी.बी. मुम्बई दि.17.2.1997
32.	चंडीगढ़	पी.ई. 18/94 चंडीगढ़ दिनांक 26.10.94
33.	तमिलनाडु	आर.सी.48/ए/94-चेन्नई दि.28.9.94
34.	उत्तर प्रदेश	आर.सी.32/96-लखनऊ दिनांक 8.6.1996
35.	राजस्थान	आर.सी.38/ए/95-जयपुर दिनांक 9.11.95
36.	दिल्ली	पी.ई.20(ए)/93-दिल्ली दिनांक 7.10.1993
37.	पंजाब	आर.सी 007- चंडीगढ़ दिनांक 25.2.97

विवरण॥

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों के संबंध में सूचना जिनके विरूद्ध केन्द्र सरकार-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 1993 से 1997 के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने पर शासित लागाई

क्रम.सं.	अधिकारी का ब्यौरा	लगाई गई शासित
1.	कर्नाटक संवर्ग 1978 बैच का एक अधिकारी	दो वर्ष की अवधि के लिए समय वेतनमान में बिना संचयी प्रभाव के इससे निचले स्तर तक कटौती की शास्ति

क्रम.सं.	अधिकारी का ब्यौरा	लगाई गई शासित
2.	उत्तर प्रदेश संवर्ग बैच 1968 का एक अधिकारी	परिनिंदा की शासित लगाई गई ।
3.	केरल संवर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवानिवृत अधिकारी	50 प्रतिशत मासिक पेंशन रोकना । 31.12.96 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आदेश अपास्त कर दिया ।
4.	तमिलनाडु संवर्ग का भा.प्र.से.का एक सेवानिवृत्त अधिकारी	50 प्रतिशत मासिक पेंशन रोकना ।
5.	भा.प्र.से.महाराष्ट्र संवर्ग का 1968 बैच का एक अधिआरी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
6.	महाराष्ट्र संवर्ग, भा.प्र.से. का एक अधिकारी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
7.	बिहार संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	बर्खास्तगी
8.	1969 बैच का पंजाब संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	
9.	महाराष्ट्र संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।
10.	1976 बैच का हरियाणा संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	परिनिंदा
11.	अगमूट संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	बर्खास्तगी
12.	पश्चिम बंगाल संवर्ग का भा.प्र.से. का एक सेवानिवृत्ति अधिकारी	20 प्रतिशत रोकना ।

Cases Registered by CBI against Ministers, MPs and MLAs

4347. SHRI SATISH AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of cases registered by the CBI against present and former Ministers, MPs and MLAs in the country during the last six years;

(b) the details of those against whom charge-sheet have been filed; and

(c) the reasons for the filing the charge-sheets against the remaining persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (c) During the last 6 years, i.e. 1991 to 1996 and upto 31.3.97, a total of 40 cases have been registered in CBI against 53 Ministers/ex-Ministers, 32 MPs/ex-MPs and 19 MLAs/ex-MLAs. Out of these 40 cases, charge-sheets have been filed in 20 cases. In respect of the remaining 20 cases, the reasons for not filing ths charge-sheets are as under:—